कार्यालय जिलाधिकारी, Saharanpur
(खनन अनुभाग)

पत्रांक :-**UP/Saharanpur/No-2912, Dated: 28-02-2025** दिनांक :-**28-02-2025**

ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की जनपद Saharanpur में नदी तल में उपलब्ध Sand or Bajri or Boulder RBM के रिक्त क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-23(1) के अंतर्गत ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से उक्त नियमावली के अध्याय-4 के तहत खनन पट्टा पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्धता घोषित करते हुए इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं को निम्नवत शर्तों व कालयोजना/अवधि में ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रित किया जाता है:-

1. क्षेत्र का विवरण:-

क्र०सं०	एरिया कोड	उपखनिज का नाम	नदी का नाम	क्षेत्र का विवरण				जियोकोर्डिनेट		नियमावली 2021 के अनुसूची-1 के अनुसार रायल्टी दर (रू० प्रति घन मी)	खनन योग्य आंकलित उप खनिज की मात्रा (घन मी० प्रति वर्ष)	प्रथम वर्ष में आंकलित मात्रा की कुल रायल्टी रू० में	अर्नेस्ट मनी (कॉलम 13 में अंकित सकल धनराशि का 25 प्रतिशत रु0 में)
				तहसील	ग्राम/एरिया कोड	गाटा सं०/खंड सं०/ जोन सं०	क्षेत्रफल (हे० में)	अक्षांश	देशांतर				
1	1088960503	Sand or Bajri or Boulder RBM	Khairawali Raw	Behat	Sherpur Pelon - 108896	403,404/1,405,406/1,416/2,421/1,422/2,423/2....Etc	6.4750	A-30°-16'35.16" B-30°-16'32.34" C-30°-16'21.11" D-30°-16'22.11"	A-77°-39'44.44" B-77°-39'51.41" C-77°-39'36.26" D-77°-39'34.41"	110	77700	8547000.00	2136750.00
2	1090650501	Sand or Bajri or Boulder RBM	Kaluwala Raw	Behat	Kalu Wala Pahadipur - 109065	119/1,120/1,192/1,193/1,125/4	14.9000	A-30°-12'8.76" B-30°-12'6.03" C-30°-12'0.52" D-30°-11'40.91" E-30°-11'41.72" F-30°-12'2.8"	A-77°-45'37.77" B-77°-45'42.25" C-77°-45'38.93" D-77°-45'32.39" E-77°-45'25.51" F-77°-45'33.06"	110	178800	19668000.00	4917000.00
3	1089130501	Sand or Bajri or Boulder RBM	yamuna	Behat	Akbarpur Bans Aht - 108913	1	17.9000	A-30°-16'27.8" B-30°-16'34.01" C-30°-16'42.58" D-30°-16'43.84" E-30°-16'50.96" F-30°-16'46.69" G-30°-16'39.98" H-30°-16'36.08"	A-77°-32'46.96" B-77°-32'47.53" C-77°-32'53.94" D-77°-32'58.19" E-77°-32'47.76" F-77°-32'43.28" G-77°-32'41.04" H-77°-32'33.91"	110	322200	35442000.00	8860500.00
4	1089190501	Sand or Bajri or Boulder RBM	yamuna	Behat	Arazi Zevari Aht - 108919	1 व 1	13.8000	A-30°-15'51.33" B-30°-15'58.45" C-30°-15'45.65" D-30°-15'41.84"	A-77°-32'21.84" B-77°-32'8.63" C-77°-32'3.15" D-77°-32'13.01"	110	248400	27324000.00	6831000.00
5	1089170501	Sand or Bajri or Boulder RBM	yamuna	Behat	Alauddinpur Bans Aht - 108917	1/1	9.5800	A-30°-16'14.92" B-30°-16'17.99" C-30°-16'8.09" D-30°-16'2.92"	A-77°-32'39.76" B-77°-32'32.74" C-77°-32'23.84" D-77°-32'31.72"	110	172440	18968400.00	4742100.00
6	1089180501	Sand or Bajri or Boulder RBM	yamuna	Behat	Mahmoodpur Nagli Aht - 108918	1	15.7000	A-30°-16'2.98" B-30°-16'10.84" C-30°-16'0.4" D-30°-15'51.7"	A-77°-32'30.74" B-77°-32'18.84" C-77°-32'11.56" D-77°-32'23.64"	110	282600	31086000.00	7771500.00
7	1089160501	Sand or Bajri or Boulder RBM	yamuna	Behat	Shahpur Bans Aht - 108916	1/1	15.6000	A-30°-16'27.75" B-30°-16'16.01" C-30°-16'20.43" D-30°-16'35.53"	A-77°-32'46.14" B-77°-32'38.5" C-77°-32'28.7" D-77°-32'33.2"	110	280800	30888000.00	7722000.00
8	1089240501	Sand or Bajri or Boulder RBM	yamuna	Behat	Nityanandpur Aht - 108924	1 व 1m	17.7000	A-30°-15'25.77" B-30°-15'41.32" C-30°-15'46.16" D-30°-15'28.87"	A-77°-31'57.79" B-77°-32'12.89" C-77°-32'0.64" D-77°-31'50.13"	110	318600	35046000.00	8761500.00
9	1089860501	Sand or Bajri or Boulder RBM	yamuna	Behat	Abboo Talabpur Garh - 108986	1	37.0000	A-30°-14'41.78" B-30°-14'49.46" C-30°-15'16.2" D-30°-15'11.96"	A-77°-31'38.3" B-77°-31'21.34" C-77°-31'36.25" D-77°-31'46.05"	110	666000	73260000.00	18315000.00
10	1090290502	Sand or Bajri or	yamuna	Behat	Nooniyari Aht. -	1/1/1	19.0000	A-30°-11'6.47"	A-77°-29'18.52"	110	342000	37620000.00	9405000.00

		Boulder RBM			109029			B- 30°-11'4.27" C- 30°-10'59.7" D- 30°-10'55.77" E- 30°-10'46.29" F- 30°-10'39.87" G- 30°-10'46.96" H- 30°-10'51.56" I- 30°-10'49.46" J-30°-11'2.3" K- 30°-11'7.26" L- 30°-11'12.52"	B- 77°-29'16.54" C- 77°-29'14.05" D- 77°-29'10.53" E- 77°-29'4.02" F- 77°-29'0.42" G- 77°-28'51.89" H- 77°-28'56.26" I- 77°-28'58.83" J- 77°-29'11.12" K- 77°-29'5.46" L- 77°-29'11.64"				
11	1089880502	Sand or Bajri or Boulder RBM	yamuna	Behat	Aslampur Bartha - 108988	1/1M	28.1600	A- 30°-13'4.93" B- 30°-12'35.5" C- 30°-12'38.19" D- 30°-13'9.39"	A- 77°-30'44.59" B- 77°-30'28.5" C- 77°-30'18.84" D- 77°-30'35.57"	110	506880	55756800.00	13939200.00
12	1089910501	Sand or Bajri or Boulder RBM	yamuna	Behat	Rasoolpur Urf Rasooli - 108991	1/1	34.0000	A- 30°-12'17.09" B- 30°-12'16.42" C- 30°-12'5.34" D- 30°-11'59.82" E- 30°-11'46.33" F- 30°-11'59.32" G- 30°-12'21.1"	A- 77°-30'18.81" B- 77°-30'17.32" C- 77°-30'13.17" D- 77°-30'1.24" E- 77°-29'58.5" F- 77°-29'43.47" G- 77°-30'16.04"	110	612000	67320000.00	16830000.00

2.ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा नदी तल स्थिति उपखनिज के खनन पट्टा अधिकतम अवधि 05 वर्ष के लिये स्वीकृत किये जायेंगे| पट्टे की अवधि की गणना खनन पट्टा विलेख निष्पादन की तिथि से की जाएगी |

3.ई-निविदा सह ई-नीलामी की बिड/बोली उप खनिज की प्रति घन मीटर के लिए दी जाएगी, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के अनुसूची-1 में निर्धारित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी| इससे भिन्न बिड/बोली दिए जाने पर बिड/बोली स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्रीबिड अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जाएगी प्राप्त उच्चतम बिड/बोली की दर (रूपया प्रति घन मी०) को क्षेत्र में आंकलित मात्रा (घन मी०) से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी की देय धनराशि आगणित की जायेगी |

4.ई-निविदा सह ई-नीलामी दो चरणों में होगी| प्रथम चरण में ई-निविदा संपन्न की जायेगी जिसके दौरान सभी बिडर्स को एक बार ई-निविदा (e-tender) देने का मौका प्रदत्त होगा जो पुनरीक्षित (Revise) नहीं किया जा सकेगा| ई-निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा को आधार मूल्य (Floor Price) मानते हुए द्वितीय चरण में ई-नीलामी कराया जायेगा, जिसके दौरान बिडर्स ई नीलामी हेतु निर्धारित तिथि एवं अवधि में ई-बोली दे सकता है| ई-नीलामी के दौरान केवल उच्चतम बोली को ही प्रदर्शित किया जायेगा जिसको देखते हुए बिडर अपना बोली पुनरीक्षित कर बढ़ा सकते है |

5.किसी क्षेत्र के ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी गणना क्षेत्र में वार्षिक आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा |

6.एम०एस०टी०सी० लि० (भारत सरकार का उपक्रम) को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार की ओर से ई-निविदा सह ई-नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जाएगी| ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा परिहार पर देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन एम०एस०टी०सी० के ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर की जाएगी |

7.इच्छुक आवेदकों के लिए ऑनलाइन बिड/बोली हेतु class III Singing type डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है| एम०एस०टी०सी० के उपरोक्त पोर्टल पर जाकर अर्ह आवेदक अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् ही ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे| ई-निविदा सह ई-नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान डी०एस०सी० की वैधता बनाये रखने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी |

8.पंजीकृत आवेदक निर्धारित पोर्टल पर प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क एवं प्रत्येक क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्नेस्ट मनी एम०एस०टी०सी० के पोर्टल पर प्रदर्शित प्रक्रिया के अनुसार एम०एस०टी०सी० के पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा| किसी व्यक्ति/फर्म/कंपनी के पक्ष में पूर्व से 02 (दो) क्षेत्र या कुल 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल से बिड अधिक के खनन पट्टे धारित होने पर वे बिड में भाग नहीं ले सकेंगे| इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कंपनी (आवेदक) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सरकार के पक्ष में रू०-15,000 (रू० पन्द्रह हजार) का आवेदन शुल्क एम०एस०टी०सी० पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non refundable) होगा |

9.ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कंपनी को एम०एस०टी०सी० में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा| पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कंपनी को ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा जिसके दौरान बिडर्स अपने लिए स्वयं जनित यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड बनायेंगे| इस ऑनलाइन पंजीयन के उपरांत बिडर्स को एम०एस०टी०सी० को ऑनलाइन फॉर्म भेजना अनिवार्य होगा, साथ ही बिडर्स को वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी०एस०टी० सहित रू०-2,360 (रू० दो हज़ार तीन सौ साठ मात्र) एम०एस०टी०सी० पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन देय होगा| अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात् ही बिडर्स का लागिन आई०डी०, पासवर्ड एवं अकाउंट एम०एस०टी०सी० के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा| पूर्व में पंजीकृत बिडर्स जिसके पंजीकरण की अवधि वैध है, उन्हें पंजीकरण शुल्क देना नहीं होगा परन्तु नए नियमों के अनुसार आवश्यक अभिलेख यथा हैसियत प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात ही उनका पंजीकरण चालू (Activate) हो पायेगा |

10.पंजीकरण हेतु बिडर्स द्वारा स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर एम०एस०टी०सी० के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा :-

1) आवेदक के आधार कार्ड की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति तथा कंपनी के मामले में कार्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कंपनी के प्रबंध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण पत्र की प्रति|

2) आवेदक का अद्द्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में भागीदारों के अद्द्यावधिक चरित्र प्रमाण की प्रति तथा कंपनी के मामले में प्रबंध निदेशक का इस आशय का शपथ पत्र की कंपनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नहीं किया गया है| चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहाँ आवेदक स्थाई रूप से निवास करता हो |

3) आवेदक का पैनकार्ड की प्रति, फर्म या कंपनी के मामले में उसका पैनकार्ड एवं जी०एस०टी० नं० की प्रति|

4) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई-निविदा सह ई-नीलामी से सम्बंधित समस्त वित्तीय हस्तांतरण किया जायेगा, यथा बैंक का नाम, खता संख्या आई०एफ०एस०सी० कोड, तथा एक निरस्त चेक की प्रति|

5) जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय बकाया न होने का प्रमाण पत्र| जहाँ आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता है वहां इस आशय का शपथ पत्र की प्रति|

6) स्वयं का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारन्टी, जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो।

11.एम0एस0टी0सी0 द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की वेबसाइट से वसूली प्रमाण पत्र एवं ब्लैक लिस्ट की सूची से मिलान करने के उपरान्त केवल उन्ही व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा, जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत अर्ह हो। नियम-26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग नही ले सकते है:-

1) जो भारतीय राष्ट्रिक नही है।

2) जिसके विरुद्ध खनिज देय बकाया है।

3) जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहाँ वह स्थाई रुप से निवास करता है से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नही कर लिया है। शर्त यह है कि उक्त चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो।

4) जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।

5) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।

6) फर्म/कम्पनी के मामलें में जिसने पैनकार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो।

7) जिसने हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारन्टी, जो बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो प्रस्तुत न किया हो।

12.ऑनलाईन ई-निविदा डालने तथा ई-नीलामी की बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com पर प्रदर्शित की जायेगी।

13.ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिये इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र के लिये पृथक-पृथक रु0-15000 (रु0 पन्द्रह हजार मात्र) का शुल्क जो अप्रतिदेय होगा तथा अर्नेस्ट मनी जो विज्ञप्ति में क्षेत्र के नाम सम्मुख अंकित हो, जमा किया जाना होगा।

14.सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) पंजीकरण के समय दिये गये बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी। आवेदक द्वारा पंजीकरण के समय दिये गये बैंक खाते में बदलाव मान्य नही किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अनुमोदन उपरान्त बैंक खाते का बदलाव किया जा सकता है।

15.जहां किसी भी कारण से ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया पूरी न हो वहां कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात् पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की जा सकती है।

16.अधिकतम दो खनन पट्टें या 50 हे0 से अधिक के क्षेत्र को, उ0प्र0 राज्य में किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नही किया जायेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में दो खनन पट्टें या 50 हे0 से अधिक के खनन पट्टें स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टें निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के दो क्षेत्र अथवा 50 हे0 के खनन पट्टें ही अनुमन्य होगें। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में दो खनन पट्टें या 50 हे0 से अधिक के खनन पट्टें हेतु जारी लेटर आफ इटेन्ट की सूचना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी।

17.ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया:-

1) ई-निविदा सह ई-नीलामी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई-निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत डाली जायेगी। बिड की दर प्रत्येक उपखनिज के लिये प्रतिघन मीटर के लिये दी जायेगी जो सम्बन्धित उपखनिज के लिये नियमावली-2021 के अनुसूची-1 में उल्लिखित रायल्टी की दर से कम नही होगा। विज्ञप्ति के अनुसार क्षेत्रवार प्राप्त ई-निविदा को एक साथ न खोलकर पृथक-पृथक खोला जायेगा। प्रत्येक क्षेत्र के प्रथम चरण की ई-निविदा खोलने के तत्काल 02 घण्टे बाद द्वितीय चरण की ई-नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

2) प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

(क) यदि प्रथम चरण में एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (ऑफर) में प्रति घन मीटर दिया गया दर नियमावली-2021 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिये निर्धारित रायल्टी दर से 400 प्रतिशत से अधिक है तथा शेष शर्तें पूर्ण करता हो तो जिलाधिकारी द्वारा उस निविदा दाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(ख) यदि प्रथम चरण में केवल एक ही बिड प्राप्त होता है और उक्त बिड (आफर) में प्रति घन मीटर में दिया गया दर नियमावली-2021 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिये निर्धारित रायल्टी दर से अधिक परन्तु 400 प्रतिशत से कम है तो जिलाधिकारी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता, खनिज की गुणवत्ता, उपखनिज का बाजार मूल्य, उस क्षेत्र में खनिज की मांग, क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते हुये स्वविवेक से एकल निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय लेगें।

(ग) यदि प्रथम चरण में एक से अधिक परन्तु पॉच या पॉच से कम बिड प्राप्त होता है तो सभी बिड कर्ता द्वितीय चरण की ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होगें तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(घ) यदि पॉच से अधिक बिड/आफर प्राप्त होते है तब केवल पॉच सर्वाधिक निविदाकार ही द्वितीय चरण की ई-नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह होगें तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

3) उपरोक्त प्रस्तर-17(2)(ग)(घ) के अनुसार प्रथम चरण के योग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की नीलामी में भाग ले सकते है।

4) द्वितीय चरण में ई-नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी। ई-नीलामी की प्रक्रिया प्रथम चरण की अग्रसारित प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम बिड/आफर द्वितीय चरण की ई-नीलामी के लिये न्यूनतम बोली (Floor Price) स्वतः निर्धारित हो जायेगी।

5) ई-नीलामी की प्रक्रिया जो ई-निविदा खोलने के के तत्काल दो घण्टे बाद प्रारम्भ होगी, में इच्छुक एवं अर्ह व्यक्ति/फर्म/कम्पनी बोली में कई बार भाग ले सकता है। ई-नीलामी की ऑनलाइन प्रक्रिया में स्क्रीन पर अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली ऑनलाइन ही दिया जा सकता है।

6) निर्धारित समय के पश्चात् बोली बन्द हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नही दिया जा सकता है। बोली के अन्तिम समय में यदि कोई और बोली प्राप्त होती है तो नीलामी की बोली का समय स्वतः 05 मिनट के लिये बढ जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक 05 मिनट के अन्तराल में कोई और बोली प्राप्त नही होती है।

7) ई-निविदा सह ई-नीलामी की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी:-

प्री-बिड अर्नेस्ट मनी जमा करने की अवधि	ई-निविदा से पूर्व एम0एस0टी0सी0 में अपेक्षित प्री बिड ईएमडी एवं आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 वेबसाइट पर वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार जमा करने की जिम्मेदारी बोलीदाता की है एवं बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लें।
प्रथम चरण ई-निविदा (ई-टेण्डर) की अवधि	04-04-2025 (10:00 बजे) से 09-04-2025 (17:00 बजे) तक

विज्ञप्ति में क्षेत्र क्रमांक संख्या	प्रथम चरण में प्राप्त ई-निविदा (बिड) का खोला जाना व मूल्यांकन	द्वितीय चरण की ई-नीलामी
1	15-04-2025 10:00 से 12:00 तक	15-04-2025 12:00 से 14:00 तक
2	15-04-2025 13:00 से 15:00 तक	15-04-2025 15:00 से 17:00 तक
3	16-04-2025 10:00 से 12:00 तक	16-04-2025 12:00 से 14:00 तक
4	16-04-2025 13:00 से 15:00 तक	16-04-2025 15:00 से 17:00 तक
5	17-04-2025 10:00 से 12:00 तक	17-04-2025 12:00 से 14:00 तक
6	17-04-2025 13:00 से 15:00 तक	17-04-2025 15:00 से 17:00 तक
7	21-04-2025 10:00 से 12:00 तक	21-04-2025 12:00 से 14:00 तक

8	21-04-2025 13:00 से 15:00 तक	21-04-2025 15:00 से 17:00 तक
9	22-04-2025 10:00 से 12:00 तक	22-04-2025 12:00 से 14:00 तक
10	22-04-2025 13:00 से 15:00 तक	22-04-2025 15:00 से 17:00 तक
11	23-04-2025 10:00 से 12:00 तक	23-04-2025 12:00 से 14:00 तक
12	23-04-2025 13:00 से 15:00 तक	23-04-2025 15:00 से 17:00 तक

8) परिणाम की घोषणा एवं उसका प्रदर्शन:-

(क) प्रथम चरण की निविदा प्रक्रिया का परिणाम निविदाकार (Tenderer) के लॉगिन पर प्रदिर्शित होगा। प्रथम चरण के निविदा प्रक्रिया के समापन के पश्चात् अधिकतम निविदा धनराशि (बिडिंग एमाउन्ट) प्रदर्शित की जायेगी। सभी निविदाकार द्वितीय चरण की बोली हेतु वे योग्य है अथवा नही को भी लॉगिन कर जान सकते है।

(ख) एकल निविदा के मामलों को छोड़कर शेष मामलों में द्वितीय चरण की ई-नीलामी समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त अधिकतम बोली उसके बोलीदाता का विवरण एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

18. पट्टें का दिया जाना: नियमावली के नियम-28 के प्राविधानों के अनुसार ई-निविदा सह ई-नीलामी के मामले में उस बोली या प्रस्ताव को उपरोक्त प्रस्तर-17(2) में दिये गये प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी स्वीकार करेगें। जिलाधिकारी द्वारा सफल एवं नियमानुसार अर्ह बोलीदाता/निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख के सत्यापन के एक सप्ताह के अन्दर लेटर आफ इन्टेंट निर्गत किया जायेगा।

19. ई-नीलामी समाप्त होने के पश्चात् 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी, जहां क्षेत्र स्थित है, के द्वारा कराना होगा। अभिलेख-सत्यापन के पश्चात् ही जिलाधिकारी द्वारा आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। सत्यापन में यदि कोई अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र कूटरचित, असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो लेटर आफ इन्टेंट जारी नही किया जायेगा तथा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जायेगी।

20. लेटर आफ इन्टेंट में निम्न विवरण होंगे :-

1) प्रथम वर्ष के लिये देय नीलामी धनराशि की गणना पट्टा क्षेत्र के लिये विज्ञप्ति में आंकलित मात्रा घन मीटर को ई-निविदा/ई-नीलामी की दर रुपया घन प्रति मीटर से गुणा कर निकाली जायेगी। खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षो में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टें की निर्बन्धनों और शर्तो का यथोचित पालन करने के लिये प्रतिभूति के रुप में प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किस्त के रुप में प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा की सकल धनराशि का 20 प्रतिशत दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) प्रथम किस्त में समायोजित कर ली जायेगी।

3) पट्टें के प्रथम वर्ष की शेष किस्ते एवं अनुवर्ती वर्षो में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली-2021 के पंचम अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी। पूर्व के परिहारधारको द्वारा पंचम अनुसूची प्रक्रिया अन्तर्गत धनराशि जमा करने के अनुरोध पर जिलाधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

4) पट्टाधारक नियम-17 के प्राविधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमाकंन करायेगा जिसमें सीमा बिन्दुओं का जिओ-कोआर्डिनेटस भी इंगित किया जायेगा तथा नियम-36 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा और इसका सदैव अनुरक्षण करेगा।

5) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम-35 के अनुसार क्षेत्र के भूमि-उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय अश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।

6) आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) जारी होने के एक माह के भीतर अनुमोदन हेतु देय प्रतिभूति एवं प्रथम किश्त की धनराशि जमा के प्रमाण सहित खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के एक माह के भीतर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

7) पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन कराकर खनन संक्रियां तत्काल प्रारम्भ की जानी होगी।

21. सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीति :

1) पट्टें की अधिकतम अवधि 05 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिये मानी जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न होने पर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की मात्रा अनुमन्य होगी। पट्टा क्षेत्र हेतु अनुमन्य मात्रा को प्रथम वर्ष के लिये प्राप्त बोली की दर से गुणा कर प्रथम वर्ष हेतु नीलामी की धनराशि निर्धारित की जायेगी। अनुवर्ती वर्षो में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की दर पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जायेगी तथा तद्नुसार प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षो के लिये पट्टा धनराशि नियमावली-2021 के पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।

2) लेटर आफ इन्टेंट प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 20 प्रतिशत प्रथम किस्त अर्थात पट्टें के प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित पट्टा धनराशि का 45 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि सम्बन्धित जनपद में विभाग के निर्धारित लेखाशीर्षक में लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर प्री बिड अर्नेस्ट मनी समायोजित करते हुये जमा किया जाना होगा। प्रीबिड अर्नेस्ट मनी की धनराशि एम0एस0टी0सी0 द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा आनलाईन हस्तान्तरित की जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नही होगा।

3) प्रथम वर्ष के लिये शेष 80 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षो के लिये पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम-59 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।

4) पट्टाधारक द्वारा पट्टा धनराशि के किश्तो के सापेक्ष राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउण्डेशन (डी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

22.शर्ते :-

खनन पट्टा की अवधि 05 वर्ष के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टे की अवधि की गणना खनन पट्टा विलेख निष्पादन की तिथि से की जायेगी।

ई निविदा सह ई नीलामी की बिड/बोली उपखनिज की प्रति घन मीटर के लिए दी जायेगी, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के अनुसूची-1 में निर्धारित रायल्टी की दर से कम नही होगी। इससे भिन्न बिड/बोली दिये जाने पर बिड/बोली स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्री बिड अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी। प्राप्त उच्चतम बिड/बोली की दर (रूपया प्रति घन मी0) को क्षेत्र में आंकलित मात्रा (घन मी0) से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी की देय धनराशि आगणित की जायेगी, जिसे पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

ई निविदा सह ई नीलामी दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में ई निविदा सम्पन्न की जायेगी जिसके दौरान सभी बिडर्स को एक बार ई-निविदा (E-Tender)देने का मौका प्रदत्त होगा जो पुनरीक्षित (revise) नही किया जा सकेगा। ई निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा को आधार मूल्य (Floor Price) मानते हुए द्धितीय चरण में ई-नीलामी कराया जायेगा, जिसके दौरान बिडर्स ई-नीलामी हेतु निर्धारित तिथि एवं अवधि में ई-बिड दे सकता है। ई-नीलामी के दौरान केवल उच्चतम बोली को ही प्रदर्शित किया जायेगा जिसको देखते हुए बिडर अपना बिड पुनरीक्षित कर बढ़ा सकते है।

किसी क्षेत्र के ई निविदा सह ई नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी गणना क्षेत्र में वार्षिक आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा।

एम0एस0टी0सी0 लि0 (भारत सरकार का उपक्रम) को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार की ओर से ई-नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा परिहार पर देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन एम0एस0टी0सी0 के ई-आक्सन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर की जायेगी।

इच्छुक आवेदकों के लिए ऑनलाईन बिड/बोली हेतु Class III Signing Type डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। एम एस टी सी के उपरोक्त पोर्टल पर जाकर अर्ह आवेदक अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात ही ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग ले सकेंगें। ई-निविदा सह ई-नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान डी0एस0सी0 की वैधता बनाये रखने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

खनिकर्म 1955 रत्नगर्भा वसुन्धरा
UP MINE MITRA

पंजीकृत आवेदक निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाईन अधिकतम 02 (दो) क्षेत्र या कुल 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए बिड में भाग ले सकेगा परन्तु उसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग आवेदन शुल्क एवं प्रत्येक क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्नेस्ट मनी एम0एस0टी0सी0 लि0 के पोर्टल पर प्रदर्शित प्रक्रिया के अनुसार एम0एस0टी0सी0 के पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा। किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में पूर्व से 02 (दो) क्षेत्र या कुल 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक के खनन पट्टे धारित होने पर वह बिड में भाग नहीं ले सकेगा। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सरकार के पक्ष में रू0 15,000/- (रू0 पंद्रह हजार) का आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non-Refundable) होगा।

ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति / फर्म/ कम्पनी को एम0 एस0 टी0 सी0 में पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध आनलाईन फार्म भरना पड़ेगा जिसके दौरान बिडर्स अपने लिए स्वयं जनित यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड बनायेंगे। इस आनलाईन पंजीयन के उपरान्त बिडर्स को एम0एस0टी0सी0 द्वारा भेजा गया सूचना ई मेल प्राप्त होगा, जिसके पश्चात बिडर्स को आवश्यक अभिलेख स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 को आनलाईन भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही बिडर्स को वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी.एस.टी सहित रू0 2,360 (रू0 दो हजार तीन सौ साठ मात्र) एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से आनलाईन देय होगा। अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात् ही बिडर्स का लॉगिन आई0डी0, पासवर्ड एवं एकाउन्ट एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा। पूर्व में पंजीकृत बिडर्स, जिनके पंजीकरण की अवधि वैध है, उन्हें पंजीकरण शुल्क देना नहीं होगा, परन्तु नये नियमों के अनुसार उनके द्वारा आवश्यक अभिलेख यथा हैसियत प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात् ही उनका पंजीकरण चालू (Activate) हो पायेगा।

पंजीकरण हेतु बिडर्स द्वारा स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा:-

(1) आवेदक के आधार कार्ड की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति तथा कम्पनी के मामले में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण-पत्र की प्रति।

(2) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में भागीदारों के अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में प्रबन्ध निदेशक का इस आशय का शपथ पत्र कि कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नही किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहाँ आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हों।

(3) आवेदक का पैन कार्ड की प्रति, फर्म या कम्पनी के मामले में उसका पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 नं0 की प्रति।

(4) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई निविदा सह ई नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, तथा बैंक का नाम, खाता संख्या आई0एफ0एस0सी0 कोड, तथा एक निरस्त चेक की प्रति।

(5) जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय बकाया न होने का प्रमाण पत्र जहाँ आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नही करता है वहाँ इस आशय का शपथ पत्र की प्रति।

(6) आवेदक को स्वंय का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैक गारन्टी जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो, प्रस्तुत किया जाये।

एम0एस0टी0सी0 द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की वेबसाईट से वसूली प्रमाण पत्र एवं ब्लैक लिस्ट की सूची से मिलान करने के उपरान्त केवल उन्ही व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के प्रावधानों के अर्न्तगत अर्ह हो। नियम-26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग नही ले सकते हैंः-

(1) जो भारतीय राष्ट्रिक नही है।

(2) जिसके विरूद्ध खनिज देय बकाया है।

(3) जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहां वह

स्थायी रूप से निवास करता है से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नही कर लिया है। शर्त यह है

कि उक्त चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो।

(4) जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।

(5) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।

(6) फर्म/कम्पनी के मामलें में जिसने पैनकार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो।

(7) आवेदक को स्वंय का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैक गारन्टी जो बोली की

धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो, प्रस्तुत किया जाये।

ऑनलाईन ई-निविदा डालने तथा ई-नीलामी बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.coM पर देखा जा सकता है।

ई-निविदा सह ई-नीलामी मंे भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक रू0 15000 (रू0 पन्द्रह हजार मात्र) का शुल्क और अप्रतिदेय होगा तथा अर्नेस्ट मनी जो विज्ञप्ति में क्षेत्र के नाम सम्मुख अंकित हो, जमा किया जाना होगा।

सफल बोलीदाता/ निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयानें की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) यथावत उसी बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी। आवेदक द्वारा पंजीकरण के समय दिए गए बैंक खाते में बदलाव मान्य नही किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अनुमोदन उपरान्त बैंक खाते का बदलाव किया जा सकता है।

जहां किसी भी कारण से ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया पूरी न हो वहां कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात् पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की जा सकती है।

अधिकतम दो खनन पटटे या 50 हे0 से अधिक क्षेत्र को उ0प्र0 राज्य की किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नही किया जाएगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में दो खनन पटटा या 50 हे0 से अधिक खनन पटटे स्वीकृत करा लिया जाता है तो अन्त में स्वीकृत खनन पटटा निरस्त कर पटटा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जाएगी, तथा केवल प्रारम्भ के दो क्षेत्र अथवा 50 हे0 के खनन पटटे ही अनुमन्य होगें। परन्तु यदि स्वयं अपने पक्ष में दो खनन पटटे या 50 हे0 से अधिक के खनन पटटे हेतु जारी लेटर ऑफ इन्टेण्ट की सूचना देता है तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पटटा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्र की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जाएगी।

ई- निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया:-

(1) ई निविदा सह ई नीलामी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत डाली जायेगी। बिड/रायल्टी की दर प्रत्येक उपखनिज के लिए प्रति घनमीटर के लिए दी जायेगी जो सम्बन्धित उपखनिज के लिए नियमावली-2021 के अनुसूची-1 में उल्लिखित रायल्टी की दर से कम नही होगा। विज्ञप्ति के अनुसार क्षेत्रवार प्राप्त ई-निविदा को एक साथ न खोलकर पृथक -पृथक खोला जाएगा। प्रत्येक क्षेत्रे के प्रथम चरण की ई-निविदा खोलने के तत्काल 02 घण्टे बाद द्वितीय चरण की ई-नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी।

(2) प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगीः-

(क) ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया अन्तर्गत बालू, मोरम बजरी आदि के क्षेत्रों के परिहार पर स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 14.08.2017/09.10.2019 एवं ईमारती पत्थर यथा खण्डा, गिटटी, बोल्डर आदि के क्षेत्रों को परिहार पर स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 12.12.2017/09.10.2019 में उल्लिखित है कि यदि प्रथम चरण में एक ही बिड प्राप्त होती है तो ईमारती पत्थर के मामलें में निर्धारित रायल्टी दर से 200 प्रतिशत यथा बालू/मौरम के मामले में 400 प्रतिशत से अधिक दर प्राप्त होने पर निविदा स्वीकृत की जायेगी तथा यदि उक्त से कम धनराशि प्राप्त होती है तो जिलाधिकारी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता, खनिज की गुणवत्ता, उपखनिज का बाजार मूल्य, उस क्षेत्र में खनिज की मांग, क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते हुये स्वविवेक से एकल निविदादाता के पक्ष में लेटर ऑफ इण्टेंट जारी करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय लेगें।

(ख) यदि प्रथम चरण में एक से अधिक परन्तु पॉच या पॉच से कम बिड प्राप्त होता है तो सभी बिड कर्ता द्वितीय चरण की ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होगें तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(ग) यदि पॉच से अधिक बिड/आफर प्राप्त होते है तब केवल पॉच सर्वाधिक निविदाकार ही द्वितीय चरण की ई नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(3) उपरोक्त प्रस्तर-17 (2)(ग), (घ) के अनुसार प्रथम चरण के योग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की ई-नीलामी में भाग ले सकते है।

(4) द्वितीय चरण में ई नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी। ई नीलामी की प्रक्रिया प्रथम चरण की अग्रसारित प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम बिड/आफर द्वितीय चरण की ई नीलामी के लिए न्यूनतम बोली (Floor Price) स्वतः निर्धारित हो जायेगी।

(5) ई-नीलामी की प्रक्रिया जो ई-निविदा खोलने के तत्काल दो घण्टे बाद प्रारम्भ होगी, में इच्छुक एवं अर्ह व्यक्ति/फर्म/कम्पनी बोली में कई बार भाग ले सकता है। ई-नीलामी की ऑनलाइन प्रक्रिया में स्क्रीन पर अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली ऑनलाईन ही दिया जा सकता है।

(6) निर्धारित समय के पश्चात् बोली बन्द हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नही दिया जा सकता है। बोली के अन्तिम समय में यदि कोई और बोली प्राप्त होती है तो नीलामी की बोली का समय स्वतः 05 मिनट के लिए बढ़ जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक 05 मिनट के अन्तराल में कोई और बोली प्राप्त नहीं होती है।

(7) ई निविदा सह ई नीलामी की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी:-

प्री-बिड ई0एम0डी0 एवं आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि ई निविदा से पूर्व एम0एस0टी0सी0 में अपेक्षित प्री-बिड ई0एम0डी0 एवं आवेदन शुल्क, एम0एस0टी0सी0 की वेबसाईट पर वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार बोलीदाता द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।

प्रेस विज्ञप्ति का दिनांक 03.03.2025

प्रथम चरण में ई-निविदा (ई-टेण्डर) की अवधि दिनांक 04.04.2025 पूर्वान्ह 10ः00 बजे से 09.04.2025 सॉय 5ः00 बजे तक

प्रथम चरण में प्राप्त ई-निविदा (बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन दिनांक 15.04.2025 को

पूर्वान्ह 10ः00 बजे से क्रमांक 01 पर विज्ञापित क्षेत्र

अपरान्ह 01ः00 बजे से क्रमांक 02 पर विज्ञापित क्षेत्र

दिनांक 16.04.2025 को

पूर्वान्ह 10ः00 बजे से क्रमांक 03 पर विज्ञापित क्षेत्र

अपरान्ह 01ः00 बजे से क्रमांक 04 पर विज्ञापित क्षेत्र

दिनांक 17.04.2025 को

पूर्वान्ह 10ः00 बजे से क्रमांक 05 पर विज्ञापित क्षेत्र

अपरान्ह 01ः00 बजे से क्रमांक 06 पर विज्ञापित क्षेत्र

दिनांक 21.04.2025 को

पूर्वान्ह 10ः00 बजे से क्रमांक 07 पर विज्ञापित क्षेत्र

अपरान्ह 01ः:00 बजे से क्रमांक 08 पर विज्ञापित क्षेत्र

दिनांक 22.04.2025 को

पूर्वान्ह 10ः:00 बजे से क्रमांक 09 पर विज्ञापित क्षेत्र

अपरान्ह 01ः:00 बजे से क्रमांक 10 पर विज्ञापित क्षेत्र

दिनांक 23.04.2025 को

पूर्वान्ह 10ः:00 बजे से क्रमांक 11 पर विज्ञापित क्षेत्र

अपरान्ह 01ः:00 बजे से क्रमांक 12 पर विज्ञापित क्षेत्र

द्वितीय चरण की ई-नीलामी की अवधि दिनांक 15.04.2025 को 1. अपरान्ह 12ः:00 बजे से अपरान्ह 02ः:00 बजे तक क्रमांक 01 पर विज्ञापित क्षेत्र

2. अपरान्ह 03ः:00 बजे से अपरान्ह 05ः:00 बजे तक क्रमांक 02 पर विज्ञापित क्षेत्र

दिनांक 16.04.2025 को 3. अपरान्ह 12ः:00 बजे से अपरान्ह 02ः:00 बजे तक क्रमांक 03 पर विज्ञापित क्षेत्र

4. अपरान्ह 03ः:00 बजे से अपरान्ह 05ः:00 बजे तक क्रमांक 04 पर विज्ञापित क्षेत्र

दिनांक 17.04.2025 को 5. अपरान्ह 12ः:00 बजे से अपरान्ह 02ः:00 बजे तक क्रमांक 05 पर विज्ञापित क्षेत्र

6. अपरान्ह 03ः:00 बजे से अपरान्ह 05ः:00 बजे तक क्रमांक 06 पर विज्ञापित क्षेत्र

दिनांक 21.04.2025 को 7. अपरान्ह 12ः:00 बजे से अपरान्ह 02ः:00 बजे तक क्रमांक 07 पर विज्ञापित क्षेत्र

8. अपरान्ह 03ः:00 बजे से अपरान्ह 05ः:00 बजे तक क्रमांक 08 पर विज्ञापित क्षेत्र

दिनांक 22.04.2025 को 9. अपरान्ह 12ः:00 बजे से अपरान्ह 02ः:00 बजे तक क्रमांक 09 पर विज्ञापित क्षेत्र

10. अपरान्ह 03ः00 बजे से अपरान्ह 05ः00 बजे तक क्रमांक 10 पर विज्ञापित क्षेत्र

दिनांक 23.04.2025 को

11. अपरान्ह 12ः00 बजे से अपरान्ह 02ः00 बजे तक क्रमांक 11 पर विज्ञापित क्षेत्र

12. अपरान्ह 03ः00 बजे से अपरान्ह 05ः00 बजे तक क्रमांक 12 पर विज्ञापित क्षेत्र

(8) परिणाम की घोषणा एवं उसका प्रदर्शन:

क. प्रथम चरण की ई- निविदा प्रक्रिया का परिणाम निविदाकार (Tenderer) के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। प्रथम चरण के ई-निविदा प्रक्रिया के समापन के पश्चात् अधिकतम निविदा धनराशि (बिडिंग एमाउन्ट) प्रदर्शित की जायेगी। सभी निविदाकार द्वितीय चरण की बोली हेतु वे योग्य है अथवा नही को भी लॉगिन कर जान सकते है।

ख. एकल निविदा के मामलो को छोड़कर शेष मामलों में द्वितीय चरण की ई-नीलामी समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त अधिकतम बोली उसके बोलीदाता का विवरण एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

पट्टे का दिया जानाः- नियमावली के नियम-28 के प्रावधानों के अनुसार ई-निविदा सह ई-नीलामी के मामले में उस बोली या प्रस्ताव को उपरोक्त प्रस्तर-17(2) में दिये गये प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी स्वीकार करेंगे जो उच्चतम हों। जिलाधिकारी द्वारा सफल एवं नियमानुसार अर्ह बोलीदाता/निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख के सत्यापन के एक सप्ताह के अन्दर लेटर आफ इन्टेंट निर्गत किया जायेगा।

ई-नीलामी समाप्त होने के पश्चात 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी जहाँ क्षेत्र स्थित है के द्वारा अथवा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय के द्वारा कराना होगा। निदेशक द्वारा मूल अभिलेख के सत्यापन की स्थिति में अभिलेख-सत्यापन की आख्या ई-मेल के माध्यम से संबंधित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। अभिलेख-सत्यापन के पश्चात ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा। सत्यापन में यदि कोई अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र कूटरचित, असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो लेटर आफ इन्टेंट जारी नही किया जायेगा तथा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जायेगी।

लेटर आफ इन्टेंट में निम्न विवरण होंगे ;-

(1) प्रथम वर्ष के लिए देय नीलामी धनराशि की गणना पट्टा क्षेत्र के लिए विज्ञप्ति में आकलित मात्रा घन मी0 को निविदा/नीलामी की दर रूपया घन प्रति मी0 से गुणा कर निकाली जायेगी। खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय घनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

(2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्बन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 20 प्रतिशत दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।

(3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्ते एवं अनुवर्ती वर्षो में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली-2021 के पंचम अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी।

(4) पट्टाधारक नियम-17 के प्राविधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा (जिसमें सीमा बिन्दुओं का जीओ को आर्डिनेट्स भी इंगित किया जायेगा) तथा नियम-36 के अनुसार सीमा-स्तम्भ लगायेगा एवं इसका अनुरक्षण करेगा।

(5) चयनित आवेदक नियम-35 के प्राविधानों के अर्न्तगत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक-14.09.2006 सपठित अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 (Sustainable Sand Mining Management Guideline-2016 (SSMG-2016) and Enforcement & Monitoring Guidelines for sand Mining-2020 Published by MoEF&CC) के दिशा निर्देशा तथा समय-समय पर यथा संशोधित उपबन्धों के अधीन पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।

(6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम-35 के अनुसार क्षेत्र के भूमि-उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।

(7) लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु देय प्रतिभूति एवं प्रथम किस्त की धनराशि जमा होने के प्रमाण सहित खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के 1 माह के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा नियम 60(1) के प्राविधानो के अर्न्तगत प्रस्तावक पर रूपये 10,000.00 प्रति दिन की शास्ति आरोपित की जायेगी।

(8) पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन कराकर खनन संक्रिया तत्काल प्रारम्भ की जानी होगी।

(9) नियम 35(4) के अन्तर्गत पर्यावरण की स्वीकृति की प्रक्रिया के दौरान अपेक्षित समयावधि में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का परियोजना प्रस्तावक द्वारा समाधान करना अनिवार्य होगा। नियम 35(4) के उंलघन की दशा में जिला मजिस्टेªट नियम 60(7) के अन्तर्गत जारी लेटर ऑफ इन्टेन्ट निरस्त किया जा सकता है।

(10) नियम 35(5) के अर्न्तगत पर्यावरण अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत होने के उपरान्त एक माह के भीतर पटटा विलेख का निष्पादन करना अनिवार्य होगा। नियम 35(5) के उंलघन की दशा में प्रस्तावक द्वारा जमा प्रथम किश्त एंव प्रतिभूमि धनराशि समपृहत करते हुये जारी लेटर ऑफ इन्टेन्ट निरस्त किया जायेगा।

21. सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीति

(1) स्वीकृत पट्टे की अवधि 05 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिए मानी जायेगी। प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में पिछले वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ आगामी वर्ष में पट्टा धनराशि देय होगी। प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों के लिए पट्टा-धनराशि-नियमावली-2021 के पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।

(2) आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 20 प्रतिशत प्रथत किस्त अर्थात पट्टे के प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित पट्टा धनराशि के 45 प्रतिशत के सतुल्य धनराशि (जिसमें प्री बिड अर्नेस्ट मनी समायोजित हो) सम्बन्धित जनपद में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में लेटर ऑफ इन्टेन्ट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा किया जाना होगा। प्री बिड अर्नेस्ट मनी की धनराशि एम0एस0टी0सी0 लि0 द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से/आनलाईन हस्तान्तरित की जायगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।

(3) प्रथम वर्ष के लिए शेष 80 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षो के लिए पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित पंचम अनुसूची के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम-59 अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।

(4) पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउण्डेशन(डी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

शर्तेः-

(1) ई निविदा सह ई निलामी में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो ले। ई निविदा सह ई निलामी में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नही किया जायेगा।

(2) पट्टाधारक पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमाकंन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र का कार्डिनेट्स अंकित करेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टाधारक अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्बे को लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शायें गये सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक होगा।

(3) पट्टा अभिलेख के निष्पादन के दिनांक पट्टाधारक तत्काल खनन संक्रियायें प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जान बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भाति करेगा।

(4) पट्टा धारक नियम-36 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे संबन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख-रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-67 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिग को उपलब्ध करायेगा।

(5) पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई-एम0एम0-11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम0एम0-11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हे सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली-2021के नियम-60 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।

(6) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 05.09.2018 के अनुपालन में पट्टा धारक द्वारा खदान के निकासी स्थल पर तौल मशीन लगवाकर निदेशालय में स्थापित कमाण्ड सेन्टर में प्रयुक्त आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स युक्त सॉफ्टवेयर में इन्टीग्रेट किया जायेगा। इन्टीग्रेटस में स्थित तौल मशीन में निम्न Features का होना आवश्यक हैः-

1. The weigh bridge device should use the MQTT Prtocol to transmit data.

2. The weigh bridge device should transmit data over the internsmit data over the internet to IOT infrastructrue in cloud.

(7) पट्टेदार 03 मीटर की गहराई अथवा जलस्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियाये नही करेगा।

(8) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नही किया जायेगा।

(9) नदी की जल धारा में सक्शन, मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नही किया जायेगा।

(10) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाॅ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहाॅ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।

(11) यदि पट्टाधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की

शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बतानें की युक्ति अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।

(12) भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पट्टेधारक द्वारा खनिजो की लोडिग की जायेगी।

(13) नियमों एव शर्तो के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होंगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।

(14) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मान्य होगा।

(15) पटटाधारक द्वारा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र कार्यालय मे ंजमा कराने के उपरान्त अनुमति प्राप्त कर खनन कार्य आरम्भ किया जायेगा।

(16) मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।

(17) पटटाधारक द्वारा नियमानुसार जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम-1974 यथासंशोधित एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम-1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त किया जाना होगा।

(18) पट्टाधारक द्वारा नियम-35(6) के अनुसार वित्तीय आश्वासन दिया जाना होगा।

जिलाधिकारी
Saharanpur |

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
3. आयुक्त सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
4. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय भूतत्वं एवं खनिकर्म विभाग, गाजियाबाद।
5. शाखा प्रबंधक, एम0एस0टी0सी0 लि0 सेकेण्ड सेन्टर कोर्ट बिल्डिंग पार्क रोड हजरतगंज लखनऊ-226010।
6. निदेशक, सूचना उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि व्यापक प्रचार प्रसार हेतु उक्त विज्ञप्ति 02 दैनिक समाचार पत्रों (दैनिक जागरण एवं अमर उजाला) में दिनांक 03-039-2025 को अथवा उससे पूर्व विज्ञापित करने का कष्ट करें।
7. जिला, सूचना अधिकारी, सहारनपुर इस आशय से प्रेषित की जनपद की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी
Saharanpur |

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय 1955 रत्नगर्भा वसुन्धरा
UP MINE MITRA